



# राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

मध्यप्रदेश

8, अरेरा हिल्स, भोपाल 462004

क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य-पोषण/एन.एच.एम./2019/५५५५५  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24/04/2019

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश

3. विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, AIIMS भोपाल, म.प्र.।
4. विभागाध्यक्ष, शिशु रोग विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर/रीवा म.प्र.

विषय :- पोषण पुनर्वास केन्द्रों तथा एस.एम.टी.यू के रिपोर्टिंग प्रपत्रों में परिवर्तन के संबंध में दिशा-निर्देश।

\*\*\*\*\*

## शिशु स्वास्थ्य -पोषण, वर्ष 2019-20/परिपत्र क्रमांक - 3

विषयांतर्गत लेख है कि, प्रदेश में संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्रों तथा एस.एम.टी.यू के प्रदर्शन का मूल्यांकन जिलों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित मासिक तथा त्रैमासिक रिपोर्ट के आधार पर किया जाता है। जिलों से प्राप्त उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रेषित की जाती है। भारत शासन द्वारा वांछित जानकारी अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 से पोषण पुनर्वास केन्द्रों के मासिक व त्रैमासिक रिपोर्टिंग प्रपत्रों में संशोधन किया जा रहा है।

नवीन प्रपत्रों के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि -

- वर्ष 2019-20 से Facility एवं Programme की पृथक-पृथक रिपोर्ट तैयार कर राज्य स्तर पर सांझा की जाये।
- जिलों द्वारा Facility/NRC Performance रिपोर्ट संकलित कर प्रत्येक माह की 5 तारीख तक राज्य स्तर पर अनिवार्यतः प्रेषित की जाये।
- Facility/NRC Performance रिपोर्ट में NRC के Performance सूचकांको को शामिल किया गया है, इस रिपोर्ट के कॉलम 25 से 33 के मध्य वर्णित कॉलम के संबंध में निम्न स्पष्टता दी जाती है -
  - कॉलम 25 में Total children Discharge में रिपोर्टिंग माह में NRC से छुट्टी किये गये बच्चों की संख्या भरी जाये। उक्त संख्या कुल भर्ती बच्चों की संख्या से अधिक नहीं होगी।
  - कॉलम 26 Discharge with target weight gain में बच्चे जिन्होंने NRC भर्ती अवधि में Target Weight प्राप्त कर लिया हो, की संख्या लिखी जाये।
  - कॉलम 27 Discharge with Partial weight gain में बच्चे जो NRC से Discharge Criteria प्राप्त करते हैं परंतु Target Weight प्राप्त नहीं कर सके, की संख्या लिखी जाये।
  - कॉलम 28 Referred (Medical Transfer) में बच्चे जिन्हें NRC से उच्च संस्था में Refer किया हो, की संख्या लिखी जाये।
  - कॉलम 29 Death में बच्चे जिनकी NRC भर्ती अवधि में मृत्यु हुई हो, की संख्या लिखी जाये।
  - कॉलम 30 Defaulter में बच्चे जो NRC से Defaulter हुए हों, की संख्या लिखी जाये।
  - कॉलम 31 Average Length of Stay को माह में भर्ती समस्त बच्चों की संख्या के आधार पर रिपोर्ट किया जाये।
  - कॉलम 32 Average weight gain में प्रतिमाह भर्ती बच्चों के विरुद्ध Recover बच्चों की संख्या के आधार पर रिपोर्ट किया जाये।

- कॉलम 33 Bed Occupancy की गणना निम्नानुसार की जाये -

$$\frac{\text{प्रति दिन भर्ती बच्चों की संख्या का योग (D1+D2+D3+...)}{\text{अवधि में उपलब्ध शैयाओं का योग}} \times 100$$

$$10 \text{ बिस्तरीय NRC के 1 सप्ताह हेतु बेड ऑक्यूपेंसी हेतु उदाहरण}$$

$$\frac{(1+3+4+5+3+4+4)}{(10+10+10+10+10+10+10)} \times 100 = \frac{24}{70} \times 100 = 34.28\%$$

- Programme रिपोर्ट पूर्व में प्रचलित फॉलोअप-आऊटपुट रिपोर्ट का संशोधित प्रारूप है, जिसके प्रेषित करने की समय सारिणी निम्नानुसार रहेगी-

माह	प्रोग्राम रिपोर्ट प्रेषित करने का माह	माह	प्रोग्राम रिपोर्ट प्रेषित करने का माह
जुलाई	अप्रैल	जनवरी	अक्टूबर
अगस्त	मई	फरवरी	नवम्बर
सितम्बर	जून	मार्च	दिसम्बर
अक्टूबर	जुलाई	अप्रैल	जनवरी
नवम्बर	अगस्त	मई	फरवरी
दिसम्बर	सितम्बर	जून	मार्च

- माह अप्रैल से एन.आर.सी. रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ईमेल Address mpnutritionrch@gmail.com पर अनिवार्यतः प्रेषित की जाये।
- भेजे गये रिपोर्टिंग प्रपत्र के कॉलम में वर्णित निर्देशानुसार Conditional Formatting की गई है, निर्देश के विपरीत जानकारी भरने पर Cell का रंग बदल जायेगा जो कि रिपोर्ट में त्रुटि को इंगित करेगा। अतः निर्देशानुसार सही रिपोर्ट प्रेषित करना सर्वथा सुनिश्चित किया जाये।
- प्रत्येक माह निर्धारित समय सीमा में निर्धारित प्रपत्र में उपरोक्त रिपोर्ट प्रेषित करने का दायित्व District NRC Medical Officer का होगा जिन जिलों में District NRC Medical Officer के पद रिक्त हैं वहां जिला District M&E Officer उक्त रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु उत्तरदायी होंगे।

(संलग्न - रिपोर्टिंग प्रपत्र)

M23/4

(नीतेश व्यास)

मिशन संचालक

एन.एच.एम., मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य-पोषण/एन.एच.एम./2019/  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक /04/2019

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. संचालक, एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
3. समस्त सभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
4. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. पोषण विशेषज्ञ, यूनीसेफ, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. समस्त जिला NRC MO, मध्यप्रदेश।
7. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
8. समस्त विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश - निर्देश की प्रति पोषण पुनर्वास केन्द्र के प्रभारी चिकित्सकों को उपलब्ध कराये।
9. समस्त विकासखण्ड लेखा प्रबंधक।

मिशन संचालक,  
एन.एच.एम. मध्यप्रदेश







